(13)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.3(20)नविवि/3/96 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 8/7/02

<u>आदेश</u>

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(28)नविवि/3/96 दिनांक 22.2.2000 के बिन्दु संख्या 2. में नियमितिकरण की सीमा निर्धारित कर आवासीय प्रयोजनार्थ निर्मित 1500 वर्गगज तक के भूखण्डों का नियमितिकरण का अधिकार स्थानीय निकायों को दिया गया है तथा ऐसे आवासीय भवनों में 50 वर्गगज तक के गैर आवासीय निर्माणों का नियमितिकरण का प्रावधान है। स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार में बने गैर आवासीय निर्माण व्यवसायिक केन्द्र, होटल, रिसोर्टस आदि का नियमन इस प्रावधान में संभव नहीं होता । अतः स्थानीय निकायों के द्वारा महसूस की जा रही इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुये यह प्रावधान किया जाता है 500 वर्गगज तक के गैर आवासीय निर्माणों का नियमन स्थानान्तरण नगर विकास न्यास/ स्थानीय निकाय करने के लिये अधिकृत होंगे ।

आज्ञा से,

हस्ता.
(एम.एल. भारद्वाज)
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज.जयपुर

क्रमांक:भूमि/एफ.7(घ)डीएलबी/02/ 10124-10312 दिनांक: 20/7/02

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक (क्षेत्रीय)स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद /पालिकायें, समस्त राजस्थान ।

अतिरिक्त निदेशक

~~(287)~~
(36)